राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	नाथूलाल बनाम रेनू हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/04/2026	173/2023 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थी/रेस्पो. रिछपाल ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी का पेश किया, जिसे शामिल मिसल किया गया। पत्रावली जवाब/बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी हेतु दिनांक 24/04/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
24/04/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी का पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। दौराने बहस उद्धरित तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्रों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात का अपील के गुणावगुण पर परीक्षण किये जाने में सहायक प्रतीत होते है। अत: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किये जाकर प्रस्तुत दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तत्पश्चात अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पत्रावली के गुणावगुण पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 28/04/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
28/04/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। तत्पश्चात प्रतिवादीगण / प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत इन आधारों पर पेश किया कि भूमि खसरा नं. 685 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा ग्राम व तहसील जमवारामगढ़ के संबंध में वादीगण के पूर्वज स्व. श्री बीज्या का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रारम्भ होने से पूर्व से कब्जा था जो उनके नाम राजस्व भू- अभिलेखों में बहैसियत खुदकाश्त अंकित हे। इसलिए वादीगण उकत भूमि के कानूनन खातेदार काश्तकार हो गये है। सम्वत 2008 से 2027 में अंकित हे जिसे राजस्व कर्मचारियों से साज कर एकीकरण खतोनी के राजस्व रेकार्ड में वादीगण के पिता बीजा के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित करवा लिया तथा उक्त भूमि वादग्रस्त का प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	नाथूलाल बनाम रेनू हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	173/2025	

2 को बेचान कर दिया। इसलिए वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध वादकारण उत्पन्न होकर यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ हे। वाद मृतक व्यक्ति प्रतिवादी संख्या 1 का देहान्त हो जाने के उपरान्त भी उसके विरूद्ध वादकारण उत्पन्न होने का कथन करते हुये प्रस्तुत किया गया है, जो स्पष्टतया मृतक व्यक्ति के विरूद्ध एवं असत्य व कपोलकल्पित वादकारण पर आधारित होने के कारण विधि द्वारा वर्णिज वाद होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य हे। वाद पत्र में वादीगण ने यह भी अंकित किया हे कि एकीकरण के दोरान की गयी उक्त समस्त कार्यवाही अवेध एवं अनियमित है जिसे निरस्त किया जाकर साबिका खसरा नं. 1860 रकबा 44 बीघा 17 बिस्वा से बनाये गये वर्तमान खसरा नं. 685 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा को पुनः वादीगण के नाम अंकित किया जावे। तहसील जमवारामगढ़ में सम्वत 2008 से 2027 की अवधि के दोरान हुये एकीकरण में की गयी उपरोक्त वर्णित कार्यवाही राजस्थान होल्डिंग (कन्सोलिडेशन एण्ड प्रिवेशन ऑफ फेगमेन्टेशन) एक्ट 1954 के तहत की गयी कार्यवाही है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी अधिनियम विशेष के तहत पारित आदेश अथवा की गयी कार्यवाही को उसी अधिनियम विशेष के माध्यम से चुनोती दी जा सकती है। राजस्थान होल्डिंग्स एक्ट के अनुसार एकीकरण के दोरान की गयी कार्यवाहियों को उक्त अधिनियम की धारा 37 के अनुसार मात्र राजस्थान राज्य सरकार को ही की गयी कार्यवाही की वैधानिकता की जांच करने का अधिकार है, किसी अन्य न्यायालय को उक्त अधिनियम के तहत पारित आदेश अथवा एकीकरण की कार्यवाही के विरूद्ध कोई वाद अथवा अपील आदि सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। राजस्थान होल्डिंग्स (कन्सोलिडेशन एण्ड प्रिवेशन ऑफ फेगमेन्टेशन) एक्ट 1954 की धारा 35 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया वाद विधि द्वारा स्पष्टतया वर्जित एवं विधि विरूद्ध वाद होने के कारण पोषणीय नहीं है। व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के उप नियम (डी) के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 ,वं 188 के तहत प्रस्तुत किया गया उपरोक्त उनवानी वाद माननीय न्यायालय के समक्ष पोषणीय ना होने अर्थात विधि वर्जित वाद होने के कारण विचारण के इसी प्रकम पर निरस्त किये जाने योग्य है। 7 नियम 11 के उप नियम (ए) बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा को मृतक व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया वाद, वादकारण का अभाव एवं माननीय न्यायालय को उक्त वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त ना होने के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	नाथूलाल बनाम रेनू हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
173/2025		

कारण आदेश 7 नियम 11 व्यवहारि प्रक्रिया संहिता के उप नियम (ए) व (डी) के तहत विचारण के इसी प्रकम पर निरस्त फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र का जवाब वादीगण की ओर से प्रस्तुत किया गया कि आराजीयात पर बीज्या के उत्तराधिकारीयों के रूप में वादीगण काबिज काश्त है प्रतिवादीगण संख्या 1 की मृत्यु का तथ्य आज प्रार्थना पत्र के जरिये ज्ञात हुआ है यह सत्य भी है तो दुरूस्तनीय है। वादी ने एकीकरण के दौरान अनियमितताओं के विरूद्ध कोई अपील अथवा एकीकरण के दौरान हुई कार्यवाही को चुनोती नहीं दी। धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद माननीय न्यायालय को सुनने व फैसला करने का अधिकार पूर्णतः .गप्त है। वादीगण / अप्रार्थीगण का वाद घोषणा खातेदारी का है जो किसी भी विधि द्वारा वर्जित नहीं है। प्रार्थी / प्रतिवादी ने उक्त प्रार्थना पत्र मात्र जवाबदावे से बचने एवं वाद को लम्बे समय तक लम्बित रखने की गरज से माननीय न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया है जो काबिले खारिज है । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. पर समायत कर निर्णय दिनांक 24/01/2025 पारित करते हुये प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 1. सी.पी.सी. स्वीकार कर वादी का वाद विधिविरुद्ध होने के आधार पर ख़ारिज फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों को विवेचित करते हुये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है इसके अतिरिक्त विचाराधीन वाद का अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि राजस्थान होल्डिगस(कंसोलिडेशन एण्ड प्रिवेशन ऑफ़ फ्रेगमेन्टेशन) एक्ट 1954 की धारा 35 व 37 के आज्ञापक प्रावधानों के अनुसार एकीकरण की कार्यवाही को इतनी लम्बी अवधि उपरान्त चुनौती नही दी जा सकती है | इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपी र्थी/वादी द्वारा अपने वाद को साबित करने हेतु समुचित दस्तावेजात यथा जमाबन्दी एवं खतौनी भी पेश नही की गयी है | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसरण में ही अपीलार्थी/वादी के वाद को सही रूप से विधि से बाधित होना

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	नाथूलाल बनाम रेनू हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	173/2025	

धारित कर प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जाप्ता दीवानी स्वीकार कर ख़ारिज किया गया है | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिसम्मत प्रतीत होने से उसमे कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित्त नही समझा जाता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 24/01/2025 यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 28/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर